6/11/20 - वकील प्रार्थी हाजिर। तहसीलदार रियांबड़ी की जांच रिपोर्ट प्राप्त की - सुनी गई जो सत्यापित की गई। वकील प्रार्थी की बहस सुनी गई। तहसीलदार की जांच रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। बहस पर मनन किया गया। तहसीलदार की जांच रिपोर्ट अनुसार प्रार्थीगण के द्वारा आवश्यक दस्तावेज पेश नहीं किये गये हैं जिनसे जांच की जाना सम्भव नहीं है। अतः वादीगण का वाद अनुसार सुनवाई किया जाना असंभव है। अतः वादीगण का वाद खारिज किया जाता है। पक्षकारों को अपना मुकदमा कानून दस्तावेज दुरुस्त हो।

उपखण्ड अधिकारी रियांबड़ी
जिला-नागौर